



भारत सरकार

(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त - प्रथम कानपुर
आयकर भवन, 16/69, सिविल लाइन्स, कानपुर

फ0सं0 1046/1750 / आ0आ0प्रथम / कर0मु0 / तक0 / कानपुर / 1804 दिनांक: 30/08/2013

सेवा में,

प्रेरणा महिला समिति,
175.बंगाली कालोनी, दूध मण्डी के सामने
रामादेवी, कानपुर

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80.जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण-पत्र

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28/03/2013 की आपकी याचिका के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि प्रेरणा महिला समिति, 175.बंगाली कालोनी, दूध मण्डी के सामने रामादेवी, कानपुर को दिया संदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर- मुक्ति के लिए दिनांक 28/03/2013 से वैध है।



ह0/-

(डा0 आनन्द कुमार अग्रवाल)
आयकर आयुक्त-प्रथम,
कानपुर

नोट-:

- 1- आदेश संख्या फ0सं0 1046/1750 / आ0आ0 प्रथम / निबन्धक / तकनीकी / कानपुर के दिनांक 30/08/2013 में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
- 2- दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनांक लिखा होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी लिखें कि यह प्रमाण पत्र केवल दिनांक 28/03/2013 से वैध है।
- 3- प्राप्तियों और खर्चों के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी के पास अवश्य प्रस्तुत करें।
- 4- न्यास / संस्था के उद्देश्यों नियमों व संशोधन व परिवर्तन में होने वाला परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

समसंख्या एवं दिनांक 30/08/2013

- 1 प्रेरणा महिला समिति, 175.बंगाली कालोनी, दूध मण्डी के सामने रामादेवी, कानपुर 1
2. अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त.-1, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहा0 / उपर्युक्त आयकर आयुक्त.-1 कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सूर्य कान्त मिश्र)

आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, प्रथम, कानपुर

(सूर्य कान्त मिश्र)

आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कार्यालय आयकर आयुक्त-1
कानपुर